(a) Suitable arrangements for ensuring adequate flow of institutional credit for working capital to SSI sector including refinance arrangements by SIDBI/NABARD etc.

(b) Modification/relaxations, if any, required in the norms of Tandon/Chore Committee in respect of SSI units.

(c) Methods by which the locking up of resources on account of delay in realisation of bills can be minimized.

(d) Changes, if any, required in the present guidelines for rehabilitation of sick SSI units.

(v) To make recommendations on any other related matter as the Committee may consider germane to the subject.

Central subsidy to SSI units in Daman and Diu

2377. SHRIMATI VEENA VERMA:
KUMARI SAYEEDA KHATUN:
SHRI KAPIL VERMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any Central subsidies are provided to S.S.I. units of Daman and Diu;

(b) whether there are any recent complaints from Daman and Diu about non-payment of Central subsidies to S.S.I. units; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) Under the erstwhile Central Investment Subsidy Scheme which was discontinued w.e.f. 1.10.1988 industrial units located in Daman and Diu, including small scale industrial units were eligible for Central Investment Subsidy.

(b) and (c) Representations have been received from the Daman Industries Association about non-payment of Central Investment Subsidy to certain units. These are units whose subsidy claims were not approved by the State Level Committee before the expiry of the scheme, namely, 30.9.88,

राज्यों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का पुनः गठित किया जाना

2378. श्री रणजीत सिंह :
डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जनवरी, 1992 के "दा इकॉनामिक टाइम्स" में "गाइडलाइन्स सून आन रिस्ट्रक्चरिंग 1100 स्टेट पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1991 के अन्त तक विभिन्न राज्यों के इन रुग्ण एककों में कुल कितना निवेश किया गया;

(ग) 1991 के दौरान शुद्ध वित्तीय घाटा कितना है; और

(घ) क्या सरकार ने इन उद्योगों के संबंध में राज्यों को कोई दिशा निर्देश जारी किये हैं यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां। योजना आयोग ने सरकारी उद्यम संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से नई दिल्ली से 24 से 25 जनवरी, 1992 तक "राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों में सुधार तथा उनका निजीकरण नीतियां तथा तकनीकें" विषयक एक संगोष्ठी आयोजित की थी।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किये हैं क्योंकि वे राज्य सरकारों से सम्बद्ध हैं और केन्द्रीय सरकार के विचार के अंर्गतत नहीं आते हैं।